

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम म0प्र0

:: ज्ञापन ::

क्रमांक 99/लेखा/2026

रतलाम, दिनांक 12.01.2026

प्रति,

1. श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय रतलाम।
2. श्रीमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/अति.
जिला न्यायाधीश रतलाम/जावरा/आलोट
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/नवम/दसवें
ग्यारहवें/अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड
रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना।
4. तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (समस्त)
रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना

विषय :- दिनांक 01.01.2026 से लागू म.प्र.सिविल (अवकाश) नियम 2025 के संबंध में।

संदर्भ :- म.प्र.शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक एफ/6-1/
2025, नियम/चार/भोपाल दिनांक 19.12.2025 एवं म.प्र. राजपत्र दिनांक 24.11.2025

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत यथाआदेशानुसार राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 में संशोधन कर दिनांक 01.01.2026 से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 लागू किये गये हैं और समस्त प्रकार के अवकाश हेतु आवेदन प्रारूप निर्धारित किये गये हैं उक्त संशोधित प्रारूप पर ही अवकाश आवेदन पत्र कार्यालय द्वारा स्वीकार किये जावेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार सूचित किया जाता है कि भविष्य में म.प्र.सिविल सेवा अवकाश नियम-2025 में किये गये प्रावधान अनुसार निर्धारित प्रारूप पर अवकाश आवेदन पत्र कार्यालय को भिजवाये जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार


कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम म.प्र.

पृ.क्रमांक 100/लेखा/2026

रतलाम, दिनांक 12.01.2026

प्रतिलिपि - यथाआदेशानुसार

01. श्रीमान प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना की ओर भेजकर लेख है कि मुख्यालयों पर पदस्थ समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण को उपरोक्त निर्देशों के संबंध में अवगत कराये जाने हेतु अधीनस्थ पदस्थ नाजिर/नायब नाजिर को निर्देशित करने का कष्ट करें।
02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग रतलाम की ओर जिला न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित हैं।
03. लेखापाल/वेतन लिपिक जिला न्यायालय रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।


कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम म.प्र.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक C/57
वार-8-70/2025

जबलपुर, दिनांक 7/1/2026

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर 2025 की प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/सतर्कता/आई.एल.आर. & परीक्षा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. म.प्र., प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश.....(समस्त),
4. म.प्र., जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
5. पीठासीन अधिकारी, परिवार न्यायालय(समस्त)
6. म.प्र., संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ओ.एस.डी.(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक-1/2/डी.ई./आई.टी./सतर्कता/आई.एल. / एक्जाम/ एम/प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.)-एस.ए./सी.एस.ए., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. डिप्टी रजिस्ट्रार कम पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. मेम्बर सेक्रेटरी, म.प्र. राज्य विधिक सेवा समिति जबलपुर, म.प्र.,
11. मेम्बर सेक्रेटरी (एस.सी.एम.एस.), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्ट्स, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.)(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
14. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.)(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
15. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.) (समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
16. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या)/इंचार्ज(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
17. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
18. माननीय न्यायाधिपति महोदय सेक्रेटरी टू द जजेस/सीनियर पर्सनल असिस्टेंट/पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर
19. सहायक संपादक (आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
20. लाइब्रेरियन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
21. माननीय न्यायाधिपति महोदय के रीडर , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
22. सहायक स्थापना/अवकाश/सैट/लेखा/बजट/पेंशन/अवकाश (राजपत्रित), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
23. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,

की ओर रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक 17062 दिनांक 4/6-10-77 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

OM

M11ay

00

85126

प्रपत्र 1

(नियम 13 देखें)

शासकीय सेवक द्वारा अवकाश अथवा अवकाश वृद्धि के लिए आवेदन

1. शासकीय सेवक का नाम एवं एम्प्लॉई कोड _____
2. धारित पद _____
3. अनुभाग, कार्यालय और विभाग _____
4. मूल वेतन _____
5. (एक) अवकाश की प्रकृति _____
(दो) अवधि दिनांक.....से दिनांक.....तक
6. अवकाश से पहले/बाद में (Prefix/Suffix) जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक अवकाश, यदि कोई हों _____
7. अवकाश का कारण _____
8. अवकाश अवधि के दौरान पता एवं मोबाईल नं. _____

शासकीय सेवक के हस्ताक्षर

(दिनांक सहित)*

अवकाश की स्वीकार्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र

9. प्रमाणित किया जाता है कि से तक की अवधि के लिए (अवकाश की प्रकृति) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 के नियम के अधीन स्वीकार योग्य है।

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(दिनांक सहित)

10. नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी और/या संस्तुति

हस्ताक्षर (स्थापना प्रभारी)

पदनाम

**11. अवकाश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी

हस्ताक्षर (स्वीकृतकर्ता)

पदनाम

* शासकीय सेवक के किसी विकलांगता अथवा अन्य परिस्थिति के कारण अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थता की स्थिति में नियम 13(1) के परन्तुक अनुसार शासकीय सेवक की और से परिवार के सदस्य के द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकेंगे।

** यदि आवेदक के कोई प्रतिपूरक भत्ता ले रहा है, तो अवकाश की समाप्ति पर उसे भी आदेशों में दर्शाया जाना चाहिए, कि आवेदक के उसी पद पर या समान भत्ते वाले किसी अन्य पद पर वापस लौटने की संभावना है।

संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन

प्रपत्र- 5

[नियम 40 देखें]

1.	आवेदक का नाम एवं यूनिक कोड				
2.	पदनाम				
3.	विभाग/कार्यालय/अनुभाग				
4.	नियमित सेवा में उपस्थिति दिनांक				
5.	परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने का दिनांक				
6.	संतान का नाम, जिसके लिये संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन किया गया है				
7.	संतान की जन्म तिथि				
8.	संतान की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने की दिनांक				
9.	क्या संतान दो सबसे बड़ों में से है? विवरण दें				
10.	क्र.	संतान का नाम	पुत्र/पुत्री	जन्मतिथि	18 वर्ष की आयु पूर्ण होने की दिनांक
	(एक)				
	(दो)				
11.	आवेदन दिनांक को संतान पालन अवकाश की उपलब्धता				
12.	अवकाश की अवधि				दिनांक से तक कुल दिवस
13.	अवकाश की अवधि में पहिले/बाद में (Prefix/Suffix) यदि कोई हो तो विवरण				
14.	आवेदित अवकाश का कारण				
	(क) क्या मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति वांछित है? (हां/नहीं)				
	(ख) यदि हां, तो अवकाश के दौरान पता				
15.	पूर्व में लिए गए संतान पालन अवकाश (CCL) से वापसी की तिथि				
16.	18 वर्ष से कम आयु की दो ज्येष्ठ जीवित संतानों का विवरण (जन्म प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)				
17.	संतान पालन अवकाश की आवश्यकता के अनुक्रम में				

स्वप्रमाणित अभिलेख (चिकित्सा/शैक्षणिक रिपोर्टकार्ड/विद्यालय-संस्थान का परीक्षा कार्यक्रम/अन्य विवरण/ की प्रति संलग्न करें।	
दिनांक	आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर पदनाम कार्यालय

संतान पासन अवकाश के लिए अनुशंसा

नियंत्रणकर्ता अधिकारी की टिप्पणियां		
	अवकाश अनुशंसित/अनुशंसित नहीं	
	दिनांक	हस्ताक्षर
		पदनाम
		कार्यालय

प्रपत्र- 5 ख**संतान पालन अवकाश लेखा विवरण**

1. शासकीय सेवक का नाम.....
2. पदनाम
3. शासकीय सेवा में कार्यग्रहण का दिनांक.....
4. संतानों का विवरण:-

अनुक्रमांक	संतान का नाम	पुत्र/पुत्री	जन्मतिथि	18 वर्ष की आयु पूर्ण होने की दिनांक
(एक)				
(दो)				

5. अवकाश लेखा

अनुक्रमांक	अवकाश की पात्रता	अवकाश की अवधि			शेष अवकाश अवधि (2-5)	केलेण्डर वर्ष में आवृत्ति
		दिनांक से	दिनांक तक	कुल अवकाश अवधि (4-3)		
1	2	3	4	5	6	7

(कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

प्रपत्र 3

[नियम 17 देखें]

**शासकीय सेवकों के लिए चिकित्सीय प्रमाण-पत्र द्वारा अवकाश या
अवकाश वृद्धि के लिए अनुशांसा**

शासकीय सेवक के हस्ताक्षर, एम्प्लॉई कोड.....

मैं श्री / श्रीमती / कु जिनके ऊपर हस्ताक्षर हैं, का

उचित चिकित्सीय परीक्षण कर यह प्रमाणित करता हूँ कि वह रोग से

पीड़ित हैं और मैं उचित समझता हूँ कि वह अपने कार्य से दिनांक.....से

..... तक की अवधि में अवकाश लेकर आराम करें जिससे उनको स्वास्थ्य

लाभ हो।

प्राधिकृत चिकित्सक

दिनांक

(नाम.....)

पंजीयन संख्या

टिप्पणी 1- चिकित्सा अधिकारी द्वारा, रोग का स्वरूप और उसके ठीक होने की संभावित अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

टिप्पणी 2- चिकित्सा अधिकारी द्वारा, शासकीय सेवक के हस्ताक्षर लेने के बाद इसे भरना चाहिए, परन्तु उसे यह अनुशांसा नहीं करना चाहिए कि शासकीय सेवक को, किसी विशेष स्थान से या वहां जाने की आवश्यकता है या किसी विशेष स्थान में जाने के लिए योग्य नहीं है।

टिप्पणी 3- अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, यदि वह उपयुक्त समझे, तो द्वितीय चिकित्सक, जो सिविल सर्जन या उसके समकक्ष प्राधिकार रखता हो, से इस प्रमाण-पत्र पर उनकी अनुशांसा प्राप्त कर सकेगा, जिनकी अनुशांसा अन्तिम होगी।

प्रपत्र 4

[नियम 23(2)

देखें]

**कर्तव्य पर उपस्थित होने के समय पूर्ण स्वस्थ होने का चिकित्सीय प्रमाण-
पत्र**

शासकीय सेवक के हस्ताक्षर एम्प्लॉई
कोड

मैं, ... पंजीकृत चिकित्सक यह प्रमाणित करता हूँ, कि
मैंने, श्री/श्रीमती/कु. जिनके हस्ताक्षर ऊपर दिए गए हैं,
जो रोग से पीड़ित थे/थी तथा जिन की मैंने सावधानी से
जांच की और अब वे उस रोगावस्था से मुक्त हैं तथा शासकीय सेवा में उपस्थित होने
योग्य हैं।

मैं साथ ही यह भी प्रमाणित करता हूँ कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इनके
रोग के लिए संबंधित चिकित्सक की राय और मूल चिकित्सा प्रमाण-पत्र का सम्यक्
परीक्षण, मेरे द्वारा किया गया।

दिनांक

प्राधिकृत चिकित्सक

(नाम

पंजीयन संख्या